उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बीबीवाला बाईपास मार्ग, ऋषिकेश जनपद–देहरादून में परिवहन विभाग की प्रस्तावित ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम गडोल, ईठारना खसरा नम्बर 2336 उपयुक्त है। उक्त वनभूमि 4.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है।

19/3/16

वन क्षेत्राधिकारी	तहसीलदार	स0सं0परि0अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी	तहसीलदार	डा0 अनीता चमोला
ऋषिकेश रेंज।	ऋषिकेश	ऋषिकेश।
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	ऋषिकेश	सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषि

विभाग की ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना।

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला कक्ष सं0–03 में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन (1.02 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश) ऋषिकेश की दिनांक 13.02.2015 का कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून	अध्यक्ष
2–	श्री भरत सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश वन प्रभाग	सदस्य
3–	श्री सुरेन्द्र सिंह मनवाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला	सदस्य/सचिव
4–	श्रीमती सरोजनी थपलियाल, बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु (1.02 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना/सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुसंशा की गई

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापान हेतु (1.02 हे0 वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

सरोजनी [illegible]
क्षेत्र पंचायत [illegible]
ऋषिकेश–प्रथम ([illegible])
[illegible] डोईवाला (देहरादून)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड, 16/2/2015

FORM-I
(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

No 2090....... Dated 1/9/2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF' s letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.935 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of ~~forest department~~ P.W.D. (name of user agency) for Turturiya-Birkot-Naughar Motor Road Scheme (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Dabali Birkot village (s) in Dhanolty Tehsils.

It is further certified that.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.935 Hectare of forest area proposed for diverson. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.

(b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Enclosure. As above

Executive Engineer.	Tehsildar	S.D.M.	1/9/14 District Collector
Ty.Div.PWD Thatyur	Dhanolty	Dhanolty	Tehri Garhwal

युगल किशोर (पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी-गढ़वाल

District level (8)

Annexure -23-(A)

Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttrakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttrakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri S.A. Murugesan (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttrakhand) on 14-12-2014 at 4.P.M. at Chamoli in which the application claiming rights in **Chidinga, Silori villages in Tharali Tehsil**, area measuring **2.239 Hectares** for the **Construction of Parkhal to Silori Motor Road under PMGSY in Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Tharali Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

S. A. Murugesan (IAS)
District Magistrate – cum –
Chairman, District Level
Committee, Chamoli